

प्रेषक. पी०एस०जंगपानी  
अपर सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में  
सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
समुदाय क्वार्टर प्रोविडेंट  
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुदान-3 देहरादून, दिनांक: 27 जून, 2012  
विषय- स्कूलों में एकेडमिक होम छड़ाया, हल्द्वानी नैनीताल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूलों  
एजुकेशन (सी०बी०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र।  
करने की संघर्ष में।

संदर्भ. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि ए  
एकेडमिक होम छड़ाया, हल्द्वानी नैनीताल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूलों  
(सी०बी०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए जाने में राज्य सरकार  
सम्बन्धित प्रतिस्था के अधीन आपत्ति नहीं है-

- (क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कोउजिल फार दि इण्डियन स्कूल नॉट  
एज्युकेशन/सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूलों एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त क-  
उपयुक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ग) विद्यालय को पन्ध्र समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होंगे।
- (घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के  
बच्चे के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/ केंद्रीय  
परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक  
लिवा जायेगा।
- (ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि  
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल  
बोर्ड ऑफ स्कूलों एजुकेशन, नई दिल्ली/कोशिल फार इण्डियन राष्ट्रीय बोर्ड एजुकेशन  
दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की विधि से  
से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान रकत समाप्त हो जायेगी।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय स्तरयता प्राप्त शिक्षण संस्था  
कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य मूल्यों से उच्च वेतनमान तथा अन्य मूल्यों से अधिक  
जायेगा।
- (छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा शर्तों वगैरहों और उन्हें राज्य  
अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमान्य सेवा नियत लागू  
कराये जायेगा।
- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका  
करनी।

Principal  
Scholars' Academic Home  
Haldwani

- (झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- (ट) उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया  
जायेगा।
2. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन  
सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी मूषि पर कोई अयोग्य कच्चा आदि  
पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा मानकानुसार समस्त प्रतिवन्धों का समावेश करते हुए शिक्षकों/कर्मचारियों की  
सेवा नियमवली बनायी जायेगी तथा उन्हें मानकानुसार वेतन भुगतान किया जायेगा एवं प्रशिक्षित  
शिक्षकों को प्रशिक्षित कराया जायेगा।
4. संस्था में यदि कोई अवस्थापना सुविधाएँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तब संस्था द्वारा उन्हें  
आगामी 6 माह में पूर्ण कराया जायेगा।
5. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्रावधान कि 25%  
सरकार प्रायोजित कर्मजोर एवं अपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से  
शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उभरोक्ता समस्त प्रतिवन्धों/शर्तों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और  
यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है  
अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा  
प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,  
(पी०एस०जंगपानी)  
अपर सचिव

पृष्ठांक संख्या: 690/XXIV-3/12/01(04)/2012 तददिनांक।

प्रतिरिपि: निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
5. प्रधानाचार्य, स्कूलों एकेडमिक होम छड़ाया, हल्द्वानी नैनीताल।
6. गाँव फाइल।

आज्ञा से  
(पी०एस०जंगपानी)  
अपर सचिव

Manager,  
Scholar's Academic Home  
Charawal, Haldwani (Nainital)

Principal  
Scholars' Academic Home  
Haldwani